दिनांक 26.08.2019 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू–सर्वेक्षण की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

बैठक में सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से निर्गत पत्रों की अनुपालनात्मक समीक्षा साप्ताहिक स्तर पर की जाए। साथ ही विभिन्न निदेशों के आलोक में क्षेत्रीय/निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जाए।

बैठक में निम्नांकित विषयों से संबंधित समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए :–

1 **विशेष सर्वेक्षण संचालित पुराने जिलों में तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यों की समीक्षा**– निदेश दिया गया कि उन जिलों यथा नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, सुपौल, लखीसराय एवं किशनगंज में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा निदेशालय के पत्रांक–477 दिनांक–20.03.2019 के आलोक में की जाए। इन जिलों में तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार किए गए कार्यों की समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त किया जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

2 **विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित नए जिलों में कार्य की समीक्षा**– निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित नए जिलों से अब तक भेजे गए निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्य प्रगति का सतत अनुश्रवण किया जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा उनके क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य तथा भुगतान की प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाईन की जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

3 **हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यों की समीक्षा** – निदेश दिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यों के अनुश्रवण के लिए विहित प्रपत्र तैयार कर ऑनलाईन प्रतिवेदन प्राप्त कर सतत समीक्षा की जाए। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ अपने कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाईन करेंगी जिनकी समीक्षा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा की जाएगी। राज्य स्तर से हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा विहित प्रपत्र में ऑनलाईन करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख निदेशालय)

4 **नवनियोजित कर्मियों के नियोजन एवं पदस्थापन के संबंध में** – निदेश दिया गया कि नवनियोजित होनेवाले विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, संविदा अमीन, सामान्य अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत किए जानेवाले कार्यों की समय सीमा निश्चित कर अनुश्रवण किया जाए। नियोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से

प्राप्त निर्णयों के आलोक में नियोजन संबंधी प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार बदलाव करते हुए नियोजन के संबंध में काउंसिलिंग टीम की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– प्रभारी पदाधिकारी, नियोजन कोषांग)

5 **राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण** – नवनियोजित कर्मियों के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सीमा कम करने का निदेश दिया गया। वर्त्तमान में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की 4 महीने की अवधि को अधिक से अधिक 2 महीने में करने तथा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संशाधनों की व्यवस्था यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए और अधिक प्रशिक्षण स्थलों जैसे BIPARD, बामेति, D.N.S सरकारी प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि के चयन करने पर विचार करने का तथा जिला स्तर पर होने वाले अमीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित करने का भी निदेश दिया गया। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्रियों में पर्याप्त संख्या में FAQ को शामिल किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को यथासंभव आवासीय बनाने के संबंध में विचार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग)

6 **समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता का दायित्व** – निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के 14 जिलों में पूर्णकालिक बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति एवं अपर समाहर्त्ता को पूर्णकालिक प्रभारी पदाधिकारी बनाने अथवा स्वतंत्र प्रभारी पदाधिकारी बनाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

7 **सरकारी भूमि का अनुरक्षण तथा अनुपलब्ध मानचित्रों तथा खतियान की खोज** – निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि के अनुरक्षण से संबंधित निदेशालय स्तर से भेजे गए विभिन्न पत्रों एवं निदेशो के अनुपालन की समीक्षा कर सतत अनुश्रवण भी किया जाए। अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र को जिला स्तर से संपर्क कर खोजने एवं इस संबंध में अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व उपनिदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को देने का निदेश दिया गया। विलेज टैगिंग की शिविरवार सूची जो जिला पदाधिकारी को भेजा गया है उसपर स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग करें कि इस सूची से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सहमत हैं या नहीं।

(अनुपालन :– प्रभारी पदाधिकारी, सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग एवं उपनिदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुंलजारबाग)

8 **विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं संबद्ध मौजों का सत्यापन** – निदेश दिया गया कि इस संबंध में निदेशालय से भेजे गए पत्रांक–1302 दिनांक–02.08.2019 (स्मार पत्र) के अनुपालन का पर्यवेक्षण विहित प्रपत्र में किया जाए एवं इसका सतत अनुश्रवण किया जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

9 **विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 14 जिलों का साप्ताहिक पर्यवेक्षण – निदेश दिया गया** कि विभिन्न जिलों के प्रभारी पदाधिकारी विहित प्रपत्र में जिला स्तरीय कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करेंगे एवं प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराऐगे।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा जिलों के प्रभारी पदाधिकारी)

10 **भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संशोधन की समीक्षा** – बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 के तकनीकी निदेशक को नियमावली के अनुरूप भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संशोधन का कार्य यथा शीघ्र करने का निदेश दिया गया। एन0आई0सी0 द्वारा बताया गया कि एक दो दिनों में भू–सर्वेक्षण सॉफ्वेयर में प्रपत्र–5 एवं 6 से संबंधित संशोधन को डेमो द्वारा निदेशालय को दिखा दिया जाएगा।

(अनुपालन :– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0)

11 **विशेष सर्वेक्षण कार्य संबंधी डाटा इन्ट्री के संबंध में** – पूर्व में विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत डाटा इन्ट्री का कार्य करने वाली एजेंसियों नेटलिंक इत्यादि के संबंध में निदेश दिया गया। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से इनके द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा करते हुए या तो इन्हें Blacklist करने की कार्रवाई की जाए अथवा पुनः काम कराने के संबंध में निर्णय लिया जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

12 **जिला स्तरीय बंदोबस्त कार्यालय में आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति** – बैठक में बताया गया कि जिला स्तर पर बंदोबस्त कार्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों यथा फर्नीचर कम्प्यूटर इत्यादि के लिए प्रत्येक बंदोबस्त कार्यालय को दो–दो लाख रूपये दिए गए है। निदेश दिया गया कि बंदोबस्त कार्यालय GEM Portal के माध्यम से नियमानुसार खरीदारी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार GEM से खरीदगी संबंधी कोटेशन प्राप्त कर उसके साथ निदेशालय से राशि की मांग करेंगे। सभी न्यूनतम आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाकर जिलों को भेज दी जाए।

(अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

13 **हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किस्तवार का कार्य करने एवं उसके सत्यापन के संबंध में** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत किस्तवार तक के कार्य को पूर्ण करने की पूरी जवाबदेही हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की होगी। बंदोबस्त कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त अमीन हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ETS मशीन एवं कर्मी के सहयोग से ग्राम सीमा सत्यापन तथा भू–खण्डों के सत्यापन का काम करेगा एवं सत्यापित कर हस्ताक्षर करेगा। इसकी साप्ताहिक समीक्षा ऑनलाईन माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त कर की जाए।

(अनुपालन :– हवाई सर्वेक्षण एजेंसियॉ)

निम्नांकित बिन्दुओं पर समीक्षा के उपरांत विचार–विमर्श कर आवश्यक कार्य योजन बनाने तथा कार्यवाही करने का निदेश दिया गया :–

• विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य जिन जिलों में चल रहा है वहाँ की आम जनता मध्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य मास मीडिया के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण संबंधी तथ्यों व व्यापक प्रचार प्रसार।

• क्षेत्र में होने वाले कार्यों तथा पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा में Zero Toleran Policy अपनाने के संबंध में निदेश दिया गया कि जिन जिलों में पूर्व में विशेष सर्वेक्षण का क किया गया है वहाँ की समीक्षा करने के क्रम में दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध कठ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाए।

• सरकारी भूमि जिनका पूर्व में गलत ढ़ंग से रैयतीकरण किया गया है उनके संबंध राजस्व विभाग के स्तर से निर्गत पत्रों के अनुपालन में की गई कार्रवाई का पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं गलत ढ़ंग से रैयतीकरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंस

• नवनियोजित होने वाले सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के कार्यो पर्यवेक्षण के लिए Mobile App तैयार किया जाए।

• जिलों में अवस्थित विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा।

• उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य अंतर्गत भूमि के प्रत्येक भू–खण्ड (Plot) के लिए विशि पहचान क्रमांक देने के संबंध में कार्ययोजना।

• विशेष सर्वेक्षण वाले जिलों में अभियान चलाकर दाखिल–खारिज की कार्रवाई करना।

• असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड के सर्वेक्षण के संबंध में आवश्यक सुझाव तैयार कर र सरकार को विचारार्थ समर्पित करना।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभा
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84/2019 239 पटना, दिनांक : 10/05/2020

प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के कोषांग को सूच प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019 239 पटना, दिनांक : 10/02/2020

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिलों के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी / सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019 239 पटना, दिनांक : 10/02/2020

प्रतिलिपि : आई0आई0सी0 टेक्नॉलौजी, जी0आई0एस0 कंसोटियम एवं आई0एन0एल एण्ड एफ0एस0 के प्रतिनिधियों / भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के तकनीकी कोषांग के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों / श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019 239 पटना, दिनांक : 10/02/2020

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019 239 पटना, दिनांक : 10/02/2020

प्रतिलिपि : आई0टी0मैनेजर एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाषन करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप